मुण्डावर (खैरथ...

11/3/26

पत्रावली पेश। वकील वादी उप० और
बहस सुनी गई। वादी का वाद पत्र स्वीकार
किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा।
जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली
पूर्ण सुधार के नम्बर के बाद पत्रावली
जिला रेकर्ड रूम में शामिल हो।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

# न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

| दावा संख्या | रजु दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 04 / 25 | 03 / 01 / 25 | 11 / 03 / 26 |

**/ / उनवान / /**

1 नवदीपसिंह पुत्र कुलदीपसिंह नारा जाति जाट निवासी प्राणपुरा तह0 बावल जिला रेवाड़ी हरि0 हाल नि0 डी 2 लवीका पलेस प्लॉट सं0 255–258 सैक्टर 21 नेरूल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र

:– **वादीगण**

बनाम

1. राजेन्द्र
2. वीरसिंह पुत्रान लालाराम जाति जाट निवासी आलमपुर तह0 कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा, राज0।
3. सुमेर
4. दुलीचन्द
5. नेतराम
6. ख्याली
7. सुवेसिंह पुत्रान श्रीराम जातियान जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर
8. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

:– **प्रतिवादीगण**

**दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल.आ.एक्ट**

**उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह यादव**

निर्णय दिनांक :– 11 / 03 / 2026

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 125 रकबा 0.25 हैक०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर में स्थित है। जिसके वादी काश्तकार खातेदार दर्ज है। जो आराजी वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादी की खरीदशुद्धा आराजी है तथा मिन वादी के नाम बैयनामा का इन्तकाल दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड मे दर्ज हो रहा है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी सं० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 3 ल० 7 का पिता गैर वास्ता व गैर काबिज रहे है, जिनका विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी रहा, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में प्रतिवादी सं० 1 व 2 व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर

स० 3 ल० 7 के पिता का नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है, जबकी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज विवादित आराजी पर कभी काबिज नहीं रहे है, ना ही काश्त की है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में शिकमी का अंकन प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है। जिसे मिन वादी हजफ कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

4. यह है कि विवादित आराजी मिन वादी की खरीदशुदा आराजी रही है, तथा राजस्व रिर्कोड में मिन वादी के नाम का अंकन खातेदारी में दर्ज हो रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादीगण के नाम का अंकन बतौर शिकमी दर्ज किया हुआ है, जबकी आराजी पर मिन वादी वक्त खरीद से काबिज रहा है। तथा फसल काश्त कर रखी है।

5. यह है कि मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है लेकिन अब दिनांक 7.11.2024 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, जिस पर मिन वादी ने राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादीगण से राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे और अब दिनांक 10. 12.2024 को प्रतिवादीगण ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने से साफ मना कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी के राजस्व रिर्कोड में हमारे नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा अब हम तुम्हे आराजी से बेदखल कर, कब्जा कर लेगे तथा काश्त नही करने देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

6. यह है कि आराजी मिन वादी की खरीदशुदा आराजी है तथा मिन वादी के नाम राजस्व रिर्कोड में खातेदारी का अंकन हो रहा है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 के नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है तथा उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से मिन वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है तथा प्रतिवादीगण ने शिकमी काश्तकार दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर, मिन वादी को आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है, यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा विवादित आराजी से मिन वादी को बेदखल कर, कब्जा कर लिया तो मिन वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 7.11.2024 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व दिनांक 10.12.2024 को राजस्व रिकॉड दूरूस्त कराने से मना करने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरूस्ती का पेश किया जा रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर को वाद में पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है तथा दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये ही दावा पेश करने की इज्जाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

सहायक [illegible]
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

9. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नगली औझा तह० मुण्डावर में स्थित है। इसलिए दावा अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर श्रवण योग्य अदालत श्रीमान है।

10. यह है कि दावा पर 2 रू0 कोर्ट फीस व उचित तलबाना शुल्क चस्पा है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बरिखलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर, आराजी हाल हाल ख०न० 125 रकबा 0.25 हैक्०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 के नाम का अंकन शिकमी को हजफ किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि उक्त आराजी ख0न0 125 रकबा 0.25 हैक्०, के राजस्व रिकॉड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी का नाम नवदीप नारा पुत्र कुलदीप नारा दर्ज कर सिंह शब्द को नाम के आगे से हटा दिया, जो अंकन गलत है जबकी मिन वादी का नाम नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा है, इसलिए मिन वादी व मिन वादी के पिता के नाम के आगे सिंह शब्द दर्ज कर, नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा दर्ज कर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जयो।

(स) यह है कि डिकी हु० ई० दवामी से प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावे कि वो वादपत्र के पैरा सं० 1 में वर्णीत आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही शिकमी के आधार पर कोई कार्यवाही करे, ना ही मिन वादी को आराजी से बेदखल कर, कब्जा करे, ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे व राजस्व रिर्कोड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की विधिवत तलबी की कराई गई है तथा बावजूद विधिवत तलबी के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 8 की तरफ से बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः प्रतिवादी संख्या 8 का जवाब बन्द किया गया है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1, नवदीपसिंह नारा पुत्र श्री कुलदीपसिंह नारा पीडब्लयू–2 गंगाराम पुत्र श्री जग्गलराम, साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2078 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया यह है कि आराजी हाल ख0न0 125 रकबा 0.25 हैक्०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर में स्थित है। जिसके वादी काश्तकार खातेदार दर्ज है। जो आराजी वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है। यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादी की खरीदशुद्वा आराजी है तथा मिन वादी के नाम बैयनामा का इन्तकाल दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड मे दर्ज हो रहा है। यह है कि उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी सं० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 3 ल० 7 का पिता गैर वारता व गैर काविज रहे है, जिनका विवादित आराजी से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी रहा, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड में प्रतिवादी सं० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 3 ल० 7 के पिता का नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है, जबकी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज विवादित आराजी पर कभी काविज नहीं रहे है,

सहायक कलक्टर (मा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

ना ही काश्त की है, यह है कि आराजी मिन वादी की खरीदशुदा आराजी है तथा मिन वादी के नाम राजस्व रिर्कोड में खातेदारी का अंकन हो रहा है, लेकिन राजस्व रिर्कोड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 के नाम का अंकन शिकमी दर्ज किया हुआ है तथा उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से मिन वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा मिन वादी अपनी खातेदारी की आराजी का समूचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर, आराजी हाल हाल ख०न० 125 रकबा 0.25 हैक्ट०, वाके ग्राम नंगली औझा तह० मुण्डावर के राजस्व रिर्कोड में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 के नाम का अंकन शिकमी को हजफ किया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।यह है कि उक्त आराजी ख0न0 125 रकबा 0.25 हैक्ट०, के राजस्व रिकॉड मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन वादी का नाम नवदीप नारा पुत्र कुलदीप नारा दर्ज कर सिंह शब्द को नाम के आगे से हटा दिया, जो अंकन गलत है जबकी मिन वादी का नाम नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा है, इसलिए मिन वादी व मिन वादी के पिता के नाम के आगे सिंह शब्द दर्ज कर, नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा दर्ज कर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ–पत्र बयान गवाह तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि का विधिवत क्रय किया गया है। प्रस्तुत जमाबन्दी की नकल एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड से यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि के संबंध में वादी का खातेदारी अधिकार स्थापित है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे विवादित भूमि के शिकमी काश्तकार हैं अथवा उनका उक्त भूमि पर कोई वैधानिक अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अनुसार खातेदार अपने अधिकार की घोषणा कराने तथा गलत इन्द्राज को हटाने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे दूरुस्त किया जा सकता है। अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम बतौर शिकमी काश्तकार का इन्द्राज गलत है तथा इसे हटाया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम बतौर शिकमी काश्तकार के अंकन को हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे।** तथा राजस्व रिकॉर्ड में **वादी का नाम नवदीप नारा पुत्र कुलदीप नारा के स्थान पर सही नाम नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **11.03.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि ...)
सहायक कलक्टर ...
(खैरथल–तिजारा)

# न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

| दावा संख्या | रजु दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 04 / 25 | 03 / 01 / 25 | 11 / 03 / 26 |

// उनवान //

1. नवदीपसिंह पुत्र कुलदीपसिंह नारा जाति जाट निवासी प्राणपुरा तह0 वावल जिला रेवाड़ी हरि0 हाल नि0 डी 2 लवीका पलेस प्लॉट सं0 255–258 सैक्टर 21 नेरूल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र

:– **वादीगण**

बनाम

1. राजेन्द्र
2. वीरसिंह पुत्रान लालाराम जाति जाट निवासी आलमपुर तह0 कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा, राज0।
3. सुमेर
4. दुलीचन्द
5. नेतराम
6. ख्याली
7. सुबेसिंह पुत्रान श्रीराम जातियान जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर
8. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

:– **प्रतिवादीगण**

**दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल.आ.एक्ट**

–:पर्चा डिक्री:–

वादीगण की और से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 11.03.2026 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निर्णय हुआ है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 125 रकवा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम बतौर शिकमी काश्तकार के अंकन को हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे।** तथा राजस्व रिकॉर्ड में **वादी का नाम नवदीप नारा पुत्र कुलदीप नारा के स्थान पर सही नाम नवदीपसिंह नारा पुत्र कुलदीपसिंह नारा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **11.03.2026** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)